वित्तीय स्वीकृति

संख्या-44/2016/1527/52-3-2016-सा(2)/2015(रामपुर)

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक ,
अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0
लखनऊ ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग -3 लखनऊः दिनांक 20 मई , 2016

विषयः-अल्पसंख्यकों हेतु शैक्षिक सहभागिता एवं उन्नयन योजनान्तर्गत जनपद रामपुर में बालक व बालिकाओं हेतु एक-एक मॉडल इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने के लिये वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय ,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-2589/52-3-14-बजट (01)/2014 दिनांक 20.11.2014 द्वारा अल्पसंख्यकों हेतु शैक्षिक सहभागिता एवं उन्नयन योजना लागू करते हुये योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रथम चरण में प्रदेश के 20 चयनित जनपदों में बालक व बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक एक-एक मॉडल इण्टर कालेज की स्थापना किया जाना अपेक्षित है।

2. उक्त योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी रामपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार सहायक सचिव , उ0प्र0 सुन्नी सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ द्वारा वक्फ ईदगाह, कब्रिस्तान मोहल्ला मस्जिद कोहना स्थित टांडा वक्फ नं0-204, रामपुर की आराजी खसरा सं0 -471 क्षेत्रफल 0.714 हेक्टेयर मे से रकबा 0.500 हे0 व वक्फ बराये मस्जिद मोहल्ला कोहना कस्बा टांडा वक्फ नं0-72 की आराजी खसरा सं0-284 क्षेत्रफल 0.852 हे0 में से रकबा 0.500 हे0 पर प्रदेश सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के शैक्षिक हित में शैक्षणिक हब की स्थापना हेतु 30 वर्ष की लीज की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि उपरोक्त भूमि पर निर्मित होने वाले शिक्षण संस्थान का नाम बोर्ड द्वारा तय किया जायेगा।

जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित उक्त दोनो भूमि माडल इण्टर कालेज की स्थापना हेतु अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को तीस वर्ष की लीज पर दिये जाने से संबंधित पटटा विलेख शासन को प्राप्त हो गये है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बहुउददेशीय शैक्षणिक हब की स्थापना हेतु रू0 85,00,00,000/-(रू0 पच्चासी करोड़ मात्र) का पूंजीगत आय व्ययक प्राविधान उपलब्ध है। शासनादेश की व्यवस्थानुसार मॉडल इण्टर कालेज का निर्माण 3.02 करोड़ की लागत से माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा मानकीकृत स्टेटमेन्ट एवं डिजाइन के अनुरूप कराया जाना अपेक्षित है। उक्त वर्णित स्थिति में जनपद रामपुर में सुन्नी सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा लीज पर उपलब्ध करायी गयी भूमि पर बालक व बालिकाओं हेतु अलग-अलग मॉडल इण्टर कालेज की स्थापना हेतु रू0 03,02,00,000/- (रू0 तीन करोड़ दो लाख मात्र) प्रति माडल इण्टर कालेज की धनराशि अनुमोदित करते हुये प्रथम किश्त के रूप में बालक व बालिकाओं हेतु प्रत्येक के लिए रू0 01,51,00,000/-(रू0 एक करोड़ इक्यावन लाख मात्र) अर्थात कुल रू0 03,02,00,000/- (रू0 तीन करोड़ दो लाख मात्र) निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है

(1) मॉडल इण्टर कालेज के निर्माण हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि जिलाधिकारी रामपुर के निर्वतन पर रखी जायेगी। जिसे उनके द्वारा शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड0 डी0एस0 को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) मॉडल इण्टर कालेजों का निर्माण माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा मानकीकृत स्टीमेट एवं डिजाइन के अनुरूप कराया जायेगा।

(3) निर्माण कार्य हेतु एक समय सीमा निर्धारित की जायेगी तथा निर्धारित समय सीमा के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

(4) प्रथम किश्त के 75 प्रतिशत उपभोग तथा कार्य की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा किये जाने के उपरान्त द्वितीय किश्त अवुमक्त की जोयगी।

4. उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-800-अन्य व्यय-05-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शैक्षणिक हब की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5. यहा आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी 1-746/ दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-1527 (1)/52-3-16-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

2- □□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□

3- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0, □□□□□

4- □□□□, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0, □□□□□

5- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, रा□□□□

6- जिलाविद्यालय निरीक्षक, रामपुर।

7- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, रामपुर□

8- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 □न्नी सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ।

9- श्री मो0 □□□ □□□जोनल आफीसर उ0प्र0 सुन्नी सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड रामपुर।

10- □□□□□, □0प्र0 □□0एण्ड डी0□□0, □0प्र0□

11- कोषाधिकारी, ज□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 □□□□□

12- वित्त (ई-11) □□□□□/□□□□□-3/अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 /वित्त (आ□-व्ययक) □□□□□-1(03 प्रतियों में)/□□□ □□□□□/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कार्याधिकारी

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यक□□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in